संख्याः– 334/VI(1)/2016–01(07)/2013

30नि0प0(11)
19.2.16
आ0नि0प0 1680
19/1/18

प्रेषक,

देवेन्द्र सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग　　　　　　　　　　देहरादून दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषयः–उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–288/2–7–499/2014, दिनांक 13 अकटूबर, 2015 के कम में उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2016 की अधिसूचना संख्या–160/VI/2016–01(07)/2013, दिनांक 16 फरवरी, 2016 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की, हरिद्वार को उक्त संलग्न अधिसूचना संख्या–160/VI/2016–01(07)/2013, दिनांक 16 फरवरी, 2016 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा अधिसूचना की 300 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(देवेन्द्र सिंह)
अनुसचिव।

ई–मेल : tourism2015section@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति, पर्यटन एंव खेलकूद अनुभाग–1
संख्याः– 160 /VI/2016–01(07)/2013(418)
देहरादूनः दिनांक 16 फरवरी, 2016

अधिसूचना/विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

"उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2016"

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2016" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 के उप नियम (1)(ड) एवं (1)(ढ)(I) में संशोधन

2. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है में स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम ; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
2.(1)ड "अनाचार" के अन्तर्गत छल; अयथार्थ प्रस्तुतीकरण, पर्यटक सुविधाओं में बाधा डालना; नियत किराये से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराए की दरें प्रदर्शित न करना, कैशमैमों/रसीद न देना, अनुबंध के अनुसार अथवा वचनबद्ध सुविधाएं/सेवायें प्रदान न करना, निम्नस्तरीय उपकरण उपलब्ध कराना और कुशल/तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था न करना, आदि	2.(1)ड "अनाचार" के अन्तर्गत अयथार्थ प्रस्तुतीकरण, नियत किराये से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराए की दरें प्रदर्शित न करना, कैशमैमो/रसीद न देना, अनुबंध के अनुसार अथवा वचनबद्ध सुविधाएं/सेवायें प्रदान न करना, निम्नस्तरीय उपकरण उपलब्ध कराना और कुशल/तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था न करना, आदि
2.(1)(ढ) (I) आवासीय संबंधी इकाई यथा :– होटल, मोटल/मार्गीय सुविधा, रिजॉर्ट/हैल्थ–स्पा रिजॉर्ट, टाइमशेयर अपार्टमैन्ट, मोटर कारवां, अतिथि/यात्री विश्राम गृह, टैन्ट कालोनी/नेचर कैम्प, रिवर/लेक क्रूज/हाउस बोट्स, पेइंग गेस्ट हाउस/बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे, धर्मशाला, आश्रम, आदि।	2.(ढ) (I) आवासीय संबंधी इकाई यथा :– होटल, मोटल/मार्गीय सुविधा, रिजॉर्ट/हैल्थ–स्पा रिजॉर्ट, टाइमशेयर अपार्टमैन्ट, मोटर कारवां, अतिथि/यात्री विश्राम गृह, टैन्ट कालोनी/ नेचर कैम्प, रिवर/लेक क्रूज/हाउस बोट्स, पेइंग गेस्ट हाउस/धर्मशाला, आश्रम, आदि।

नियम 4 के उप नियम (5) (6) (7) (8) (9) में संशोधन एवं उप नियम (10) एवं (11) का जोड़ा जाना

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा एवं उप नियम 9 के बाद उप नियम 10 एवं 11 जोड़ दिया जायेगा ; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
4.(5) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व से स्थापित इकाई के स्वामी/प्रबन्धक को इन नियमो के लागू होने के नब्बे दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।	4.(5) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व से स्थापित इकाई के स्वामी/प्रबन्धक को इन नियमो के लागू होने के 180 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
4.(6) आवेदक के पास पर्यटन एवं	4.(6) आवेदक के पास पर्यटन एवं यात्रा

	यात्रा व्यवसाय हेतु एक सुसज्जित कार्यालय होना अनिवार्य होगा, जिसमें पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था, टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर, इन्टरनेट सुविधा व जनसुविधायें आदि विद्यमान हों।	व्यवसाय हेतु एक सुसज्जित कार्यालय होना अनिवार्य होगा, जिसमें पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था, टेलीफोन व जनसुविधायें आदि विद्यमान हों, किन्तु होम स्टे योजना को छोड़कर।
	4.(7) आवेदक के पास संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण होना अनिवार्य होगा। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण उपलब्ध हैं।	4.(7) साहसिक पर्यटन में कार्य करने के इच्छुक आवेदक के पास वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण होना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास साहसिक पर्यटन के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण उपलब्ध हैं।
	4.(8) प्रत्येक आवेदक को संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी /कुशल कार्मिकों के कार्यरत होने की सूची/बायोडाटा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।	4.(8) प्रत्येक आवेदक को संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी/कुशल कार्मिकों के कार्यरत होने की सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
	4.(9) यदि पर्यटन इकाई को संचालित करने वाला स्वामी/प्रबन्धक पर्यटन इकाई में कोई परिवर्तन, विस्तार या परिवर्धन करता है, तो उसे ऐसे परिवर्तन, विस्तार या परिवर्धन की सूचना विहित प्राधिकारी को साठ दिन के भीतर देनी अनिवार्य होगी।	4.(9)यदि पर्यटन इकाई को संचालित करने वाला स्वामी/प्रबन्धक पर्यटन इकाई में कोई विस्तार करता है, तो उसे ऐसे विस्तार की सूचना विहित प्राधिकारी को साठ दिन के भीतर देनी अनिवार्य होगी।

4.(10) पर्यटन इकाई के स्वामी/प्रबन्धक द्वारा पंजीकृत पर्यटन इकाई को बंद करने व पुनः खोलने की सूचना से विहित प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

4.(11) तीन सितारा एवं उनसे उच्च प्रास्थिति के होटल /रिजॉर्ट आदि के पंजीकरण हेतु योग विंग की स्थापना तथा उसमें राज्य के योग प्रशिक्षितों को सेवायोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

नियम 5 के उप नियम (2) का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान उपनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा ; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **वर्तमान उप नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
5.(2) विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक किसी आवेदक को पंजीकरण से इन्कार नहीं करता, उसे नियमानुसार पांच वर्ष की अवधि हेतु पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा, जिसका पांच वर्ष के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर पुनः नवीनीकरण किया जायेगा।	5.(2) विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक किसी आवेदक को पंजीकरण से इन्कार नहीं करता, उसे पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

नियम 6 का विलोपन

5. मूल नियमावली के नियम 6 को विलोपित कर दिया जायेगा।

नियम 8 के उप नियम (1) (घ) एवं (छ) का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **वर्तमान उप नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
8.(1)घ यदि पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानकों के अनुरूप नहीं हो;	8.(1)घ यदि पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानकों (भौगोलिक स्थिति के अनुसार) के अनुरूप न हो;
8.(1)छ यदि पर्यटन इकाई ऑपरेटर सबूत	8.(1)छ पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा

	पेश करने में विफल हो जाता है कि पर्यटन इकाई की संरचना, प्रचलित नियमों के उपबन्धों के अधीन या प्रवृत किसी अन्य स्थानीय विधि के अधीन बनाई गई भवन बनाने सम्बन्धी उप–विधियों के अनुसार बनाई गई हो; और		नियमानुसार भवन निर्माण सम्बन्धी उपबन्धों/नियमों/उप–विधियों के अनुपालन का स्वःघोषणा का शपथ–पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में।
नियम 9 के उप नियम (1) (छ) का विलोपन	7.	मूल नियमावली के नियम 9 के उप नियम (छ) को विलोपित कर दिया जायेगा।	
नियम 10 के उप नियम (1) एवं (2) का संशोधन	8.	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात् :–	
		स्तम्भ–1 **वर्तमान उप नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
		10.(1) इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी उस पर्यटन इकाई के आपरेटर की सहमति से उसके परिसर में निरीक्षण हेतु प्रवेश कर सकेगा और समस्त अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य कैश/बिल बुकों का निरीक्षण कर सकेगा।	10.(1) इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी उस पर्यटन इकाई के आपरेटर की सहमति से उसके परिसर में निरीक्षण हेतु प्रवेश कर सकेगा और रजिस्टरों व बिल बुकों का निरीक्षण कर सकेगा।
		10.(2) पर्यटन इकाई आपरेटर द्वारा किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।	10.(2) पर्यटन इकाई आपरेटर द्वारा किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा। किंतु अंतिम निर्णय लेने से पूर्व दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया जायेगा।
नियम 11 के उप नियम (2) (4) (9) का संशोधन एवं उप नियम 12 का जोड़ा जाना	9.	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात् :–	
		स्तम्भ–1 **वर्तमान उप नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
		11.(2) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की नियत दरें और सेवा के प्रभार आदि को जिन्हें पर्यटकों/ग्राहकों से प्राप्त किया जाये कि सूचना विहित प्राधिकारी को सूचित करनी होगी तथा इसकी ब्रोशर, पुस्तिका आदि भी प्रकाशित करनी होगी। यदि वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन किया जाये, तो उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर विहित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।	11.(2) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की नियत दरें और सेवा के प्रभार आदि को जिन्हें पर्यटकों/ग्राहकों से प्राप्त किया जाये की सूचना विहित प्राधिकारी को सूचित करनी होगी। यदि वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन किया जाये, तो उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर विहित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
		11.(4) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा देशी एवं विदेशी पर्यटकों की सांख्यिकी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक विहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराते हुये, उसे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की वेबसाइट पर लिंक प्रदान कर अपलोड करानी होगी।	11.(4) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या प्रत्येक माह की 7 तारीख तक विहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराते हुये, उसे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की वेबसाइट पर लिंक प्रदान कर अपलोड करानी होगी।
		11.(9) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर	11.(9) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर किसी

	किसी दुर्घटना/अप्रिय घटना घटने की दशा में तुरन्त त्वरित संचार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस स्टेशन एवं पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा।	दुर्घटना/अप्रिय घटना घटने की दशा में तुरन्त त्वरित संचार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन/पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा।

11(12) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण लगाने होंगे तथा नियमों का पालन करना होगा।

नियम 24 का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24. इस नियमावली के अधीन जब पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द किया जाता है तो प्रमाण–पत्र का धारक व्यक्ति, रद्दकरण पत्र की विहित रीति में, तामील की तारीख से सात दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को इसे वापस करेगा।	24. इस नियमावली के अधीन जब पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द किया जाता है तो प्रमाण–पत्र का धारक व्यक्ति, रद्दकरण पत्र की विहित रीति में, तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को इसे वापस करेगा।

नियम 25 का संशोधन

11. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25. इस नियमावली के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र यदि गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण–पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर आवेदन शुल्क जमा करते हुये, डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करेगा।	25. इस नियमावली के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र यदि गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण–पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर रू0 200/– आवेदन शुल्क जमा करते हुये, डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करेगा। जिसे समय–समय पर शासन के आदेशों द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

नियम 28 के उप नियम (2) में खण्ड (ङ) का जोड़ा जाना

12. मूल नियमावली में नियम 28 के उप नियम (2) के खण्ड (ढ) के पश्चात् खण्ड (ङ) को निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

28.(2)(ङ) नियमावली में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु परिषद द्वारा संबन्धित स्टेक होल्डर यथा सम्भव संगठन की भी राय ली जायेगी।

अनुलग्नक–1, 3 व 4 का संशोधन

13. अनुलग्नक–1, 3 व 4 में वर्णित आवेदन पत्रों में ईकाई की भूमि का विवरण नई इकाईयों हेतु पढ़ा जाये।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव।